प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः—अटल सेवा केन्द्र होडू

प्रकरण सं.:—144/17

क्रमांकः—लो.अदा./2017/101

दिनांकः—19.5.17

आदेश

प्रार्थी श्री वागाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी केरलीवास तहसील सिणधरी की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम केरलीवास...तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2073—2076 मे अशुद्व नाम वागाराम वल्द जैसाराम के स्थान पर शुद्व नाम प्रविष्टि वागाराम वल्द जेहाराम करने बाबत पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र मे उललेखित तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए वास्तविक तथ्यो के आधार पर जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि कय शुदा है। और उक्त कय शुदा भूमि के दस्तावेज मे बागाराम नाम दर्ज है। इस कारण प्रार्थी का नाम शुद्वि योग्य नही है।

हमने प्रार्थी का आवेदन पत्र एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि कय की गई है। जो कय दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम बागाराम दर्ज है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर उक्त तथ्यो की ताईद होती है। इस प्रकार प्रार्थी उल्लेखित भूमि मे नाम शुद्व करवाने का हकदार नही होने के कारण प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

19/5/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

दिनांकः— 19.5.17

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

क्रमांकः—लो.अदा./2017/102-104

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार सिणधरी को सुचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रार्थी श्री..बागाराम वल्द जैसाराम जाति जाट निवासी केरलीवास तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।

3.रक्षित पत्रावली।

19/5/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner